रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-11042025-262422
CG-WB-E-11042025-262422

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947
No. 296] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर

अधिसूचना

शिवपुर, 26 मार्च, 2025

फा. सं. आईआईईएसटी, शिवपुर/ प्रशासन/ कार्य और विधियों/जीओआई/०९/२०२५(ई).—भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर का बोर्डराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, २००७ (२००७ का २९) की धारा २६ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, भारतीय अभियांत्रि की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुरपरिनियम, २०१७ में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात्:—

१. (१) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर (संशोधन) परिनियम,२०२५ है।

(२) ये भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर पर लागू होंगे।

(३) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

२. भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुरपरिनियम, २०१७ (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल परिनियम कहा गया है), में परिनियम १४ के, उप-परिनियम (iv) के पश्चात, निम्नलिखित उप- परिनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v) शासी बोर्डके अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष को अधिनियम की धारा १६ के तहत सौंपे गए कार्यो का निर्वहन कर सकता है और कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में, कुलाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, बढ़ा सकता है।"

३. मूल परिनियम में, परिनियम १७ में, उप-परिनियम (१५) का लोप किया जाएगा।

प्रो. वी. एम. एस. आर. मूर्ति, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./28/2025-26]

टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३, उप-खंड (i) में तारीख २४ मार्च, २०१७ की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. २९३ (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख २१ जुलाई, २०१७ की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ९४८ (अ) और तारीख २९ अप्रैल, २०२४ की फा.सं. आईआईईएसटी, शिवपुर /प्रशासन/कार्य और विधियों/जीओआई/१०/२०२४/(ई) द्वारा संशोधित किए गए थे।

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR

NOTIFICATION

Shibpur, the 26th March, 2025

F. No. IIEST, Shibpur/Admin/Act & Statutes/GoI/09/2025(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the approval of the Visitor of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, the Board of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, hereby makes the following Statutes to amend the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur Statutes, 2017, namely:—

1. (1) These Statutes may be called the Statutes of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (Amendment) Statute, 2025.

(2) They shall apply to the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur Statutes, 2017 (hereinafter referred to as the principal Statutes), in Statute 14, after sub-statute (iv), the following sub-statute shall be inserted, namely—

"(v) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of Board of Governors by reason of expiry of his or her tenure, death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his or her functions owing to absence, illness or any other cause, the Chairperson of an Institute of National Importance, may discharge the functions assigned to the Chairperson under Section 16 of the Act, for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier, with the approval of the Visitor and in case of expiry of tenure, the Visitor may extend the term of the incumbent Chairperson for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier."

3. In the principal Statutes, in Statute 17, sub-statute (15) shall be omitted.

Prof. V M S R MURTHY, Director

[ADVT.-III/4/Exty./28/2025-26]

Note: The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.293 (E) dated the 24th March, 2017 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R.948 (E) dated the 21st July, 2017 and F.No. IIEST, Shibpur/Admn/Act & Statutes/ GoI/10/2024/(E) dated 29th April, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.04.11 22:37:41 +05'30'